

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 41/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 06 सितंबर, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखत तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कतव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	नोटिसों का नाम एवं पता	क्र. सं.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै महावीर इंपेक्ष, 85/87, 5 ^{वां} कुंभारवाड़ा लेन, अलंकार सिनेमा के निकट, मुंबई-400004 और 7 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/MZU/ F/Int-95 (viii)/ 2015(MI) दिनांक 25.05.2018.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I), न्यू कस्टम हाउस, बललाड इस्टेट, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
2.	मै मयूर यूनीक्वार्टरस लिं, विल्लेज-जातीपुरा, जयपुर सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-303704.	फ़ा. सं. DRI/KZU/ CF/Enq-30 (Int- 09)/2019 दिनांक 21.08.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क, एनसीआर बिल्डिंग, स्टाचू सकल, जयपुर. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

3.	मै नेपच्यून एक्सिम, C-102, मिडस एंकलेव, दांडसेठ अगारि लेन, मालाड (वेस्ट), मुंबई-400064 और 9 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/HQ- CI/50D/Int-23/2018 दिनांक 26.08.2019.	प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-1), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), मुंबई एयर कार्गो, मुंबई.	प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-1), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
----	--	--	--	---

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-34/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारों।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बंगलूर, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके जोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियाँ को समान न्याय निर्णयनन अधिकारों का नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारों को भेज दे
4. उप निदेशक (सीआई), 'ए-सेल', डीआरआई (मुख्यालय), नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे उनसे संबंधित कारण बताओ नोटिस के नोटिसियाँ को समान न्याय निर्णयनन अधिकारों का नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारों को भेज दे